<u>नागरिक चार्टर</u>

जूट विनिर्मिति विकास परिषद

<u>भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,</u>

यह चार्टर एक संस्थान के रूप में भारतीय जूट उद्योग की गुणता एवं उत्कृष्टता को समृद्ध कर विश्व स्तर पर इसे प्रतिस्पर्द्धी बनाने के हमारे लक्ष्य तथा हमारी प्रतिबद्धता की उद्घोषणा है।

हमारा दृष्टिकोण एवं हमारा लक्ष्य-

- भारत को विश्व के जूट उद्योगों में अग्रणी करना.
- ऐसी उत्कृष्टता प्राप्त करना जिससे भारतीय जूट उद्योग लोगों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सस्ते मूल्य पर अच्छी गुणता वाले जूट वस्तुओं का उत्पादन कर सके, जूट उत्पादों के उत्पादक प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश पा सकें,
- ऐसी नीतियों तथा कार्यक्रमों का गठन तथा क्रियान्वयन करना जो संगठित एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के जूट क्षेत्र के उन्नयन को प्रश्रय तथा सहयोग दे कि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धी का सामना शक्ति के साथ कर सकें एवं अंतराष्ट्रीय जूट-वस्तु निर्यात में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें।
- जूट के नवीन तथा युगान्तकारी प्रयोग की खोज करने हेतु अन्यान्य अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चलाना.

हमारे मूल्य-

- सदैव यह याद रखना कि हम देश एवं इसके नागरिकों की सेवा में हैं.
- सत्यनिष्ठा एवं व्यवहार कौशल, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, सह्रदयता एवं समझदारी के साथ कार्य करना.
- आधुनिक तकनीक तथा प्रबंध कार्यप्रणाली की सहायता से अपर्याप्त संसाधनों का महत्तम उपयोग करना.

हमारे द्वारा किए गए कार्य-

जूट विनिर्मिति विकास परिषद निम्न कार्रवाई करता है:

- जूट के बेहतर विपणन तथा विक्रय हेतु व्यवस्था को प्रोत्साहन.
- महत्तम उत्पादन, न्यूनतम लागत, गुणता संवर्धन तथा उत्पाद आदर्शीकरण की प्राप्ति हेतु जूट उद्योग को दक्षता के तरीके सुझाना.
- जूट विनिर्मिति हेतु विद्यमान बाजार को बनाए रखने तथा संवर्धित करने एवं भारत के बाहर नए बाजार विकसित करने के लिए विपणन योजना विकसित करना.
- जूट क्षेत्र के विकास में प्रत्यक्षत: सहायक मामलों पर तकनीकी तथा आर्थिक अनुसंधान संचालित तथा प्रायोजित करना.
- जूट उद्योग से संबंधित आंकड़ों का संग्रह तथा नियमन करना या प्रोत्साहन देना.
- जूट उत्पादक, वितरक तथा निर्यातक एवं जूट वस्तुओं के उत्पादक या विनिर्मिति को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना.

जूट विनिर्मिति विकास परिषद निम्न विनिर्दिष्ट गतिविधियाँ चलाता है-

- परिषद उत्पाद-बाजार संबंध पर केन्द्रित प्रोत्साहन गतिविधियों को प्राथमिकता देने के अपने प्रयास के तहत उत्पाद बाजार तथा उद्यमी विनिर्दिष्ट खोज तथा अध्ययन करता या करवाता है.

- परिषद अपनी बाजार विकास पहल के तहत नियमित रूप से क्रेता-विक्रेता-मिलन, प्रोत्साहन कार्यक्रमों से संपर्क, प्रतिनिधिमंडलों के दौरे तथा भारत के अंदर एवं बाहर दोनों ही जगह मेलों में भागीदारी संचालित करता है.

- परिषद जूट विविधता गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ भारतीय जूट क्षेत्र की क्षमता तथा शक्ति के साथ-साथ जूट को जैव-तंतु / उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य के तहत मानव संसाधन के विकास में सहायता, वाणिज्यिक आसूचना का प्रसार, उपयोगी आँकड़े तथा व्यापार जिज्ञासाओं का वितरण तथा विपणन प्रयास में अर्थसाहाय्य होने के रूप में उचित कदम उठाता है.

हमारे अधिकार क्षेत्र-

- परिषद का मुख्यालय 3ए, पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700 016 में स्थित है जिसका उद्देश्य जूट को लोकप्रिय करना, जूट संबंधी गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण तथा जूट खपत बढ़ाना तथा इसका विनिर्दिष्ट अधिकार-क्षेत्र पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत है.

- फ्लैट सं. 411-412, प्रकाश दीप भवन (5वाँ तल), 7, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001 में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर भारत पर नजर रखता है.

- चेनेथा भवन, तीसरा तल, दुकान सं.-4, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001 स्थित क्षेत्रीय कार्यालय मध्य तथा पश्चिम भारत के लिए तथा

- 18, कैथेडरल गार्डेन रोड (तीसरा तल), नुनगांबकम, चेन्नई-600 034 स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भारत के दक्षिणी राज्यों के लिए हैं.

हमारे संसाधन-

- अपने दायित्व के प्रति समर्पित व्यावसायिक रूप से योग्य तथा अनुभवी कर्मचारियों का एक दल ग्राहकों का उपभोक्ताओं को यथा अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराता है.

- संगठित तथा अनौपचारिक जूट क्षेत्र के संवर्धन हेतु केन्द्र / राज्य सरकार एजेंसियां, शोध तथा वित्तिय संस्थानों के बीच समन्वय करने वाले समर्पित तथा योग्य कर्मी.

- शिकायत निदान तथा निरोधक सतर्कता हेतु प्रभावी तंत्र.

कार्य-निष्पादन का स्तर -

- उन्नत्ति करने का हमारा प्रयास हमारे कार्य तथा निर्णयों में तत्परता दक्षता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा विवेकशीलता बनाए रखने में निहित है.

- उचित पावती के तहत लिखित सूचना तुरंत प्राप्त होती है.

- वांछित सूचनाएँ तुरंत प्रदान करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाती है तथा एक पखवाड़े से अधिक का समय नहीं लगता.

- सामान्यत: चौबीस घंटे के भीतर जूट उत्पाद के आपूर्तिकर्ताओं को व्यापार अनुसंधान इस तत्परता तथा पारदर्शिता के साथ पहूँचाए जाते हैं जिसकी वो कद्र करते हैं.

- सहायक दावे उन दावों के यथा-स्थान सत्यापन के बाद स्वीकृत होते हैं तथा उनकी वरीयता संबंधी सूचनाएं प्रदान करते हुए पावती निर्गत की जाती है। दावों का निपटान वरीयता बरकरार रखते हुए, पहले प्राप्त का पहले निपटान, आधारित पारदर्शिता से किया जाता है.

- नियत श्रोता तक सूचना का प्रसार करने हेतु हमारे वेबसाइट को सतत रूप से प्रत्येक पखवाड़े अद्यतन किया जाता है.

- हमारे ग्राहकों तक हमारी पहूँच सहज करता है आक्रामक उन्नयन प्रचार.

- हमारे ग्राहकों तक हमारी पहुँच सहज करता है आक्रामक संवर्धन प्रचार -साांख्यिकीय बुलेटिनों (अर्धवार्षिक), समाचार (त्रैमासिक) तथा अन्य उत्पाद-निर्दिष्ट प्रचार सामग्री का सभी ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं में परिचालन.

हमारे ग्राहक-

- जूट के सभी उत्पादक
- जूट निर्मिति के सभी निर्माता
- जूट निर्मिति के सभी निर्यातक
- जूट निर्मिति का उत्पादन करने वाले फैक्टरियों में कार्यरत सभी कर्मी
- जूट निर्माताओं के लिए मानव संसाधन विकास में जूटे सभी लोग
- जूट निर्मिति के तकनीकी अनुसंधान तथा विकास में जुटे सभी लोग

हम निम्न कार्यालयों, संगठनों तथा संस्थानों के भी संपर्क में हैं जो जूट एवं जूट उत्पाद के संवर्धन हेतु कार्यरत हैं तथा जूट उत्पादकों; श्रमिकों, विनिर्मिति, निर्यातकों तथा ग्राहकों की संरक्षा एवं संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध हैं:

- वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली
- जूट आयुक्त कार्यालय, कोलकाता
- वस्त्र आयुक्त कार्यालय, कोलकाता
- जूट विविधीकरण का राष्ट्रीय केन्द्र, कोलकाता
- भारतीय जूट निगम लि., कोलकाता
- राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम लि., कोलकाता
- इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली
- इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन, कोलकाता
- इंडियन जूट इंडस्ट्रिज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता
- जूट विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कोलकाता
- नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाएड फाइबर टेक्नोलॉजी, कोलकाता

- वस्त्र समिति, मुम्बई

परिवाद तथा शिकायत-

- किसी परिवाद / सुझाव / शिकायत पर यथासंभव त्वरित समय में कार्यवाही करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं.

- वित्तीय या गैर वित्तीय, शासकीय तथा आम क्रिया-कलापों में कर्मचारियों की गतिविधियाँ पारदर्शी हैं तथा निगरानी समर्थक क्षेत्रों में प्रभावी जाँच द्वारा इन पर सख्त नजर रखी जाती है.

- श्री एन. सेनगुप्ता, मुख्य वित्त अधिकारी को लोक शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है जो जूट विनिर्मिति विकास परिषद के प्रधान कार्यालय में लोक शिकायत सुनने एवं उनका निदान करने हेतु सोमवार एवं वृहस्पतिवार को जनता के लिए उपलब्ध होगें.

- श्री जे. के. सेन, सहायक सचिव जो जूट विनिर्मिति विकास परिषद के प्रधान कर्यालय में पदस्थापित हैं, सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं इन्हें निर्यातकों, आम जनता तथा अन्य के परिवादों पर ध्यान देने का विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

- सतर्कता अधिकारी तथा लोक शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क हेतु:

दूरभाष: 033-2217 2540, 2217 2107, 2226 3438
सतर्कता अधिकारी का दूरभाष: 033-2217 2540.
लोक शिकायत निवारण अधिकारी का दूरभाष: 033-2226 3438.
फैक्स: 033-2217 2456.
ई.मेल: jmde@jute.com / jmdeindia@giascl01.vsnl.net.in

- हमारा सूचना तथा सहायता पटल (IFC) 3ए पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700 016 स्थित कार्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार के निकट स्थित है। इस कार्यालय के स्वागत पटल पर सामान्य सूचना उपलब्ध है.

- अन्य विस्तृत सूचना हमारे वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है जिसके पते निम्नवत हैं:
  www.jmdcindia.com   www.jute.com

ग्रहकों तथा नागरिकों से हमारी अपेक्षाएं-

- नागरिक तथा ग्राहक अपने दैनंदिन उपभोक्ता तथा औद्योगिक उपयोग के लिए प्रकृति-हितैषी जूट तथा जूट उत्पाद के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण-हितैषी उत्पादों के उपयोग तथा विश्व को हरा-भरा बनाए रखने की आवश्यकता को समझें.